UPCH010006622026

न्यायालय– जनपद न्यायाधीश, चित्रकूट

व्यवहार पुनरीक्षण संख्या–09/2026

मूलचन्द्र कुशवाहा पुत्र स्व0 रामभवन उम्र 40 वर्ष निवासी पहाड़ी बुजुर्ग थाना पहाड़ी तहसील कर्वी जिला चित्रकूट। .....पुनरीक्षणकर्ता

बनाम

1. बौद्ध ज्ञान स्थली प्राथमिक विद्यालय द्वारा प्रबंधक राजेन्द्र प्रसाद पुत्र स्व0 रामप्रताप उम्र 64 वर्ष निवासी पहाड़ी बुजुर्ग तहसील कर्वी जिला चित्रकूट।
2. श्रीमती लीलावती पत्नी स्व0 गोरेलाल उम्र 77 वर्ष
3. कृष्ण कुमार पुत्र स्व0 गोरेलाल उम्र 77 वर्ष
4. रामप्रकाश उम्र 66 वर्ष
5. राजेन्द्र उम्र 64 वर्ष
6. अवधेश उम्र 62 वर्ष
7. राजेश उम्र 54 वर्ष
8. राकेश उम्र 50 वर्ष पुत्रगण स्व0 रामप्रताप
9. शिवभवन उम्र 75 वर्ष
10. छोटेलाल उम्र 72 वर्ष पुत्रगण स्व0 रामकृपाल निवासीगण पहाड़ी बुजुर्ग थाना पहाड़ी तहसील कर्वी जिला चित्रकूट।
11. गॉवसभा जरिये ग्राम प्रधान खरसेंडा तहसील कर्वी जिला चित्रकूट।
12. राज्य सरकारजरिये जिलाधिकारी, चित्रकूट।

.....प्रत्यर्थीगण

निर्णय

1. प्रस्तुत व्यवहार पुनरीक्षण विद्वान सिविल जज (जू0डि0) चित्रकूट द्वारा मूलवाद संख्या–267/2017 रामभवन बनाम बौद्ध ज्ञान स्थली प्राथमिक विद्यालय द्वारा प्रबंधक राजेन्द्रप्रसाद निवासी पहाड़ी बुजुर्ग आदि में प्रार्थनापत्र सं0–125ग2 पर पारित आदेश दिनॉकित 24.02.2026 के विरूद्ध पारित किया गया है जिसके द्वारा विद्वान विचारण न्यायालय ने प्रार्थनापत्र 125ग2 को निरस्त कर दिया है।

2. प्रस्तुत व्यवहार पुनरीक्षण को प्रोद्भूत करने वाले तथ्य इस प्रकार है कि मूलवाद संख्या– 267/2017 में वादी (यहॉ पुनरीक्षणकर्ता) की तरफ से आवेदनपत्र 125ग इस कथन के साथ प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थी ने अपना साक्ष्य शपथपत्र दाखिल किया तथा दौरान जिरह प्रार्थी ने अपने वादपत्र में संशोधन हेतु प्रार्थनापत्र दिया जो स्वीकृत होकर वादपत्र में संशोधन हो गया है। ऐसी स्थिति में संशोधित वादपत्र के अनुसार साक्ष्य शपथपत्र दाखिल करना न्यायोचित होगा। ऐसी स्थिति में पूर्व में दाखिल साक्ष्य शपथ को नाट प्रेस करने व नवीन साक्ष्य शपथपत्र दाखिल करने की अनुमति दिया जाना आवश्यक है। अतः उपरोक्त परिस्थिति में पूर्व में दाखिल साक्ष्य शपथपत्र को नाट प्रेस करने व नवीन साक्ष्य शपथपत्र दाखिल करने की अनुमति दिये जाने की याचना की गयी।

3. प्रतिवादी की ओर से प्रार्थनापत्र पर इस तथ्य का पृष्ठॉकन किया गया कि

Digitally signed by SHESH MANI SHUKLA
Date: 2026.07.21 17:05:41 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

प्रार्थनापत्र में कोई विधि व्यवस्था का कोई उल्लेख नहीं किया गया। वादी द्वारा मात्र विलम्ब के आशय से प्रार्थनापत्र दिया गया है जिसको घोर विरोधकिया जाता है।

4. उभयपक्ष को श्रवण करने के उपरान्त प्रार्थनापत्र 125ग2 विद्वान सिविल जज (जू0डि0) द्वारा दिनॉक 24.02.2026 को निरस्त कर दिया गया है जिससे क्षुब्ध होकर प्रस्तुत पुनरीक्षण याचिका संस्थित की गयी है।

5. पुनरीक्षणकर्ता ने पुनरीक्षण में यह आधार लिए गये हैं कि पुनरीक्षणकर्ता का प्रार्थनापत्र 125ग2 मात्र इसलिए निरस्त कर दिया गया कि प्रतिवादीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह मात्र पृष्ठॉकित आपत्ति की गयी कि प्रार्थनापत्र में कोई विधि व्यवस्था का कोई उल्लेख नहीं किया गया जबकि प्रार्थनापत्र इसका था कि पुनरीक्षणकर्ता के द्वारा दाखिल मूलवाद के वादपत्र में संशोधन किया जा चुका है और पूर्व में दाखिल साक्ष्य शपथपत्र संशोधित वादपत्र के पहले का है इसलिए दूसरा साक्ष्य शपथपत्र दाखिल किया जाना आवश्यक है। विद्वान विचारण न्यायालय का यह मत है कि जिस पी0डब्लू0–1 मूलचन्द्र के साक्ष्य शपथपत्र को नाट प्रेस करके संशोधित नया साक्ष्य शपथपत्र प्रस्तुत करना है, उसकी शेष जिरह प्रतिवादीगण के अधिवक्ता द्वारा पूर्ण की जा चुकी है, गलत है। अभी पी0डब्लू0–1 मूलचन्द्र की शेष जिरह जारी है। पुनरीक्षणकर्ता द्वारा जो संशोधन किया गया है वह गाटा संख्या का परिवर्तन किया गया है जब कि साक्ष्य शपथपत्र में संशोधन के पूर्व वाला ही गाटा नम्बर अंकित है जो साक्ष्य शपथपत्र को भ्रामक बनाता है। पुनरीक्षणकर्ता ने जिस गाटा संख्या को संशोधित किया है उसके पूर्व गाटा नम्बर का जिरह में प्रश्न पूछ चुके है इसलिए विपक्षीगण के विद्वान अधिवक्ता अब उन प्रश्नों को नहीं पूछेगें जिससे पुनरीक्षणकर्ता के द्वारा किये गये संशोधन का औचित्य ही समाप्त हो जायेगा। नवीन साक्ष्य शपथपत्र दाखिल करने में वाद की विषय वस्तु में कोई परिवर्तन नहीं होगा, न ही पूर्व में किये गये जिरह में ही कोई व्यवधान होगा क्यों कि प्रकरण में जिरह जारी है और जिरह अभी समाप्त नहीं हुई, ऐसी स्थिति में पुनरीक्षणकर्ता का प्रार्थनापत्र इस आशय से कि पुनः परीक्षा कराने का अधिकार पुनरीक्षणकर्ता को प्राप्त है। अतः विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेख दिनॉकित 24.02.2026 अपास्त किये जाने योग्य है तथा संशोधित वादी का साक्ष्य शपथपत्र दाखिल करने हेतु आदेशित किया जाये।

6. प्रत्यर्थी की ओर से आपत्ति 23ग2 प्रस्तुत पुनरीक्षण याचिका में प्रस्तुत तथ्यों को अस्वीकार करते हुए कथन किया गया है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनॉकित 24.02.2026 विधि अनुकूल है जिसमें कोई त्रुटि नहीं है। पुनरीक्षणकर्ता को भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 142 के तहत अपने साक्षी को पुनः परीक्षा कराने का अधिकार प्राप्त है। पुनरीक्षणकर्ता ने आधारहीन पुनरीक्षण मात्र विलम्बित करने के उद्देश्य से प्रस्तुत की गयी है जो निरस्त होने योग्य है।

7. मैने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता के तर्को को सुना एवं पत्रावली का सम्यक

अवलोकन किया।

9. अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट हो रहा है कि मूलवाद संख्या– 267/2017 रामभवन द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्ध दस्तावेज दिनॉकित 12.09.2017 की मंसूखी व शाश्वत व्यादेश के उपचार हेतु संस्थित किया गया है। आदेशपत्र के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि दिनॉक 22.12.2025 को संशोधन प्रार्थनापत्र 107क1 स्वीकार किया गया था। उसके पूर्व पत्रावली साक्षी पी0डब्लू0–1 की प्रतिपरीक्षा में चल रही थी। आवेदनपत्र 125ग के माध्यम से वादी द्वारा यह प्रार्थना की गयी कि वादपत्र के संबंध में शपथपत्र दाखिल करना आवश्यक है। तद्नुसार पूर्व में दाखिल शपथपत्र को नाट प्रेस करके नवीन शपथपत्र दाखिल करने की अनुमति चाही गयी थी।

10. विद्वान विचारण न्यायालय ने आदेश दिनॉकित 24.02.2026 में यह स्पष्ट रूप से उल्लिखित किया है कि वादी साक्षी पी0डब्लू0–1 से प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा शेष जिरह की गयी है एवं इसी जिरह के समय वादपत्र में हुई उक्त टाइप मिस्टेक की जानकारी वादी को हुई है। उक्त टाइप मिस्टेक को वादी द्वारा अपने वादपत्र में जरिये संशोधन सुधारा जा चुका है। वादपत्र में 5/12 भाग कलमजद करके पुराना नम्बर 55/2 वादी द्वारा संशोधित किया गया है। उक्त कथन अब स्पष्ट रूप से वादपत्र में अंकित है, ऐसी स्थिति में पूर्व में दाखिल पी0डब्लू0–1 के साक्ष्य शपथपत्र को नाट प्रेस कर नवीन साक्ष्य शपथपत्र दाखिल करने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा यह संप्रेक्षित किया गयाकि वादी साक्षी पी0डब्लू0–1 से शेष जिरह की जा चुकी है एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत वादी को अपने साक्षी की पुनः परीक्षा कराने का अधिकार भी प्राप्त है। तद्नुसार साक्षी पी0डब्लू0–1 का साक्ष्य शपथपत्र नाट प्रेस किये जाने एवं नवीन साक्ष्य शपथपत्र दाखिल किये जाने की अनुमति प्रदत्त नहीं की गयी।

11. अभिलेख से यह स्पष्ट है कि साक्षी पी0डब्लू0–1 द्वारा शपथपत्र प्रस्तुत किया गया है तथा उससे प्रतिपरीक्षा प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिनॉक 11.08.2025 को की गयी है। वादपत्र में संशोधन के उपरान्त पूर्व में दाखिल शपथपत्र/साक्ष्य को नाट प्रेस करके नये सिरे से शपथपत्र दाखिल करने की अनुमति चाही गयी है। धारा 137 भारतीय साक्ष्य अधिनियम (नई धारा 142 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023) के अन्तर्गत मुख्य परीक्षा, प्रतिपरीक्षा व पुनः परीक्षा के संबंध में उपबंध विहित हैं। इसी धारा के अन्तर्गत किसी साक्षी की प्रतिपरीक्षा के पश्चात उसको उस पक्षकार द्वारा जिसने उसे बुलाया था, परीक्षा उसकी पुनः परीक्षा करा सकता है। इस प्रकार धारा 137 भारतीय साक्ष्य अधिनियम पुनः परीक्षा का प्राविधान करती है। साक्ष्य विधि में वर्णित उपबंधों से यह उपदर्शित है कि वादी साक्षी पी0डब्लू0–1 की पुनः परीक्षा करा सकता है। जो साक्ष्य न्यायालय के समक्ष हो चुका है, उसको नाट प्रेस किये जाने की अनुमति प्रदत्त किया जाना किसी भी प्रकार से वैधानिक रूप से औचित्यपूर्ण नहीं है। यह तथ्य भी उल्लेखनीय

है कि वादी पूर्व प्रस्तुत शपथपत्र में टंकण की त्रुटि आदि के संबंध में स्पष्टीकरण पुनः परीक्षा के माध्यम से दे सकता है। वादी का हित प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं हो रहा है। अतः मामले के समस्त तथ्यों, परिस्थितियों तथा तत्संबंधित विधिक उपबंधों को दृष्टिगत रखते हुए इस न्यायालय का यह सुविचारित मत है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा आक्षेपित आदेश पारित करने में कोई विधिक व क्षेत्राधिकार संबंधी त्रुटि कारित नहीं की गयी है, ऐसी स्थिति में विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनॉकित 24.02.2026 पुष्ट किये जाने योग्य है तथा पुनरीक्षणकर्ता की ओर से प्रस्तुत व्यवहार पुनरीक्षण याचिका निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

पुनरीक्षणकर्ता की ओर से प्रस्तुत व्यवहार पुनरीक्षण सं0–09/2026 मूलचन्द्र कुशवाहा बनाम बौद्ध ज्ञान स्थली प्राथमिक विद्यालय द्वारा प्रबंधक राजेन्द्र प्रसाद एवं अन्य एतदद्वारा खारिज किया जाता है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनॉकित 24.02.2026 की पुष्टि की जाती है। विद्वान विचारण न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि वह माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनॉकित 05.09.2024 के अनुपालन में पक्षकारों को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदत्त करते हुए मामले का निस्तारण विधि अनुसार यथाशीघ्र करना सुनिश्चित करें। विद्वान विचारण न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति सहित अविलम्ब वापस भेजा जाये। उभय पक्ष विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष दिनॉक 05.08.2026 को उपस्थित हों।

(शेष मणि)
जनपद न्यायाधीश,
चित्रकूट।
जे0ओ0कोड–यू0पी05751

दिनॉक–21.07.2026

आज यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित,दिनॉकित कर उद्घोषित किया गया।

(शेष मणि)
जनपद न्यायाधीश,
चित्रकूट।
जे0ओ0कोड–यू0पी05751

दिनॉक–21.07.2026